L.A.M - 35
15/11/17

अधिशासी अधिकारी

सा–17

## स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,इलाहाबाद

## सम्परीक्षा आख्या

**लेखे का नाम**–नगर पालिका परिषद, खेकड़ा, जनपद–बागपत ।

**अवधि**– 2016–17

**सम्परीक्षा तिथि**–सम्परीक्षा दिनांक–24.07.2017 को प्रारम्भ होकर दिनांक–07.09.2017 को सम्पन्न हुई ।

**प्रशासन**–आलोच्य अवधि में नगर पालिका परिषद, खेकड़ा, जनपद–बागपत के अध्यक्ष पद पर श्रीमती नीलम धामा आसीन रही तथा अधिशासी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित कार्यरत रहे।

| क्र0 स0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री वेद प्रकाश | 01.04.2016 से 12.06.2016 तक |
| 2 | श्री विनय कुमार त्रिपाठी | 13.06.2016 से 31.03.2017 तक |

आहरण वितरण का कार्य अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

## भाग–क

## वर्तमान लेखा परीक्षा

**1–कर एवं करेत्तर की रू–9825689.00 वसूली हेतु बकाया रहने से नगर पालिका को आर्थिक क्षति**–नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर जहां तक सुनिश्चित किया जा सका कि नगर पंचायत द्वारा 31मार्च 2017 को कर एंव करेत्तर की धनराशि वसूली हेतु रू–9825689.00 शेष था। इतनी बड़ी धनराशि का वसूली हेतु शेष रहना नगर पालिका के आर्थिक हितो के विपरीत था। जबकि शासन द्वारा समय समय पर आय बढाने के स्पष्ट निर्देश दिये है। अतः नगर पंचायत द्वारा बकाया वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विवरण निम्नवत है–

| क्र0 स0 | मद का नाम | 31 मार्च 17 को वसूली हेतु शेष धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | भवन कर | 4811837.00 |
| 2 | जलकर | 3279246.00 |
| 3 | जलमूल्य | 1669706.00 |
| 4 | दुकान किराया | 58400.00 |
| 5 | ठेका मुर्दा मवेशी | 6500.00 |
|  | योग | 9825689.00 |

**2– अवर अभियन्ता द्वारा लेबर शेष की धनराशि को बिल में जोड़े जाने के कारण ठेकेदारो को रू–66936.91 का अधिक भुगतान**–सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो के बिलो का भुगतान करते समय जे0ई0 द्वारा लेबर शेष की धनराशि को 1 प्रतिशत को बिल की धनराशि में जोड़ दिया जाता था जिसके कारण ठेकेदारो को लेबर शेष का अधिक भुगतान कर दिया जाता था। जबकि शासन के पत्र संख्या–599/9–09–18 एल0सी0/09 दिनाकं 27 अप्रैल 2011 के साथ संलग्न प्रमुख सचिव श्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनाकं 11–02–11 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त सम्बन्धी श्रम अनुभाग–2 के पत्र संख्या–239–36–2–2011–60/2010 दिनाकं 25–2–2011 के अनुसार निर्माण कार्यो के विपत्रो से 1 प्रतिशत के दर से उपकर की धनराशि जिस प्रकार आय कर की कटौती की भांति की जानी है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा लेबर शेष की धनराशि को ठेकेदार के बिल में जोड़कर कटौतियो के साथ घटाया गया था। जिसके कारण

ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ था। इस सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय अन्यथा उचित कार्यवाही अपेक्षित है विवरण निम्नवत है–

| क्र0 स0 | कार्य का नाम | ठेकेदार | भुगतानित राशि | लेबर शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्ड 11 मे चरण सिहं के मकान से रामनिवास के मकान तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण | मो0 उजैर | 907898.00 | 9078.98 |
| 2 | वार्ड 15 मे इकरामुद्दीन के मकान से पाठशाला तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण | मे0 मोनार्क | 1782294.34 | 17822.94 |
| 3 | वार्ड 4 मे मुबारकपुर फाटक के पास रेलवे लाइन के नीचे तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क/नाली निर्माण | मे0 मोनार्क | 238716.85 | 2387.16 |
| 4 | वार्ड 10 मे सलमा के मकान से राजपाल के मकान तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क/नाली निर्माण | मे0 मोनार्क | 72021.50 | 720.21 |
| 5 | वार्ड 11 मे काठा रोड से कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क/नाली निर्माण | मे0 मोनार्क | 415263.11 | 4152.63 |
| 6 | वार्ड 11 मे मुबारकपुर रोड से अंसारी कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क/नाली निर्माण | मे0 मोनार्क | 855375.07 | 8553.75 |
| 7 | वार्ड 10 मे चरणो के मकान से जयपाल के मकान तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क/नाली निर्माण | मे0 मोनार्क | 630930.85 | 6309.39 |
| 8 | वार्ड 4 मे नाले के पार कपिल के मकान से राधेश्याम के मकान तक इण्टरलाकिगं टाइल्स द्वारा सड़क/नाली निर्माण | मे0 मोनार्क | 1791185.70 | 17911.85 |
|  |  |  | योग | 66936.91 |

**3–नगर पालिका द्वारा करो की वसूली कम किये जाने के कारण रू–1902123.00 की आर्थिक क्षति–**करो की जांच से प्रकाश में आया कि नगर पचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में करो की वसूली कम की गयी थी जिसके कारण नगर पंचायत को रू–1902123.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी । जबकि उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग–9 संख्या 475/979–16–15ज–16 लखनऊ 31 मार्च 2016 के अनुसार प्रत्येक नगरीय निकाय को निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु नगर पंचायतो को गत वर्ष की अपेक्षा 7 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी परन्तु 7 प्रतिशत की वृद्धि न करने के कारण नगर पालिका परिषद को आर्थिक क्षति हुयी थी। विवरण निम्नवत है–

| क्र0स0 | आय का मद | 2016–16 में वसूली | 7प्रतिशत सहित वसूली योग्य आय | 2016–17 की वास्तविक वसूली | कम वसूली |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गृहकर | 2067532 | 2252259 | 1289491.00 | 962768 |
| 2 | जलकर | 1235432 | 1321912 | 691295.00 | 630617 |
| 3 | जलमूल्य | 588406 | 629594 | 320856.00 | 308738 |
|  |  |  |  | योग | 1902123 |

किया गया था। इण्टरलाकिगं टाइल्स बिछाने मे 147.05X223=32792.15 का मे0 मोनार्क कान्ट्रेक्टर को अधिक भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा उत्तरदायी से अधिक भुगतान की वसूली कराकर सम्परीक्षा को अगवत कराया जाय।

**9–मे0 धामा इण्टरप्राइजेज को रू 1500.00 का अधिक भुगतान–**वार्ड 1 में धर्मवीर के मकान से विकास के मकान तक सहायक बलियों में लेवेल उठाकर रबर मोल्डेड सी0सी0 इण्टरलाकिगं टाईल्स बिछाने एवं नाली निर्माण हेतु रू 1269000.00 का भुगतान मे0 धामा इण्टरप्राइजेज को किया गया था, जिसमें रू 5000.00 का साईन बोर्ड लगाने हेतु भुगतान किया गया था । इस्टीमेट में साईन बोर्ड हेतु रू 3500.00की लागत अंकित की गई थी । इस प्रकार 5000–3500=1500.00 रू का भुगतान मे0 धामा इण्टरप्राइजेज को अधिक किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय ।

**10–ठेका मुर्दा मवेशी रू 10000.00 कम में छोड़ा जाना–**ठेका मुर्दा मवेशी पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि वर्ष 2016–17 ठेका श्रीमती सोना पत्नी दयाचन्द को छोड़ा गया था । ये ठेका श्रीमती सोना को रू 10000.00 मे छोड़ा गया था । गत वर्ष ये ठेका रू 20000.00 में छोड़ा गया था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में ठेका रू 10000.00 कम में छोड़ा गया था । ठेका मुर्दा मवेशी आलोच्य वर्ष में कम छोड़े जाने का कारण सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय।

**11–दुकान किराये का रू 57200.00 वसूली हेतु बकाया रहने कारण नगर पालिका को आर्थिक क्षति–**दुकान किराये की मांग एवं समाहरण पंजिका के जांच से प्रकाश में आया कि नगर पालिका द्वारा उठाये गये दुकानो का किराये वसूली हेतु बकाया था जिसके कारण पालिका को आय की क्षति हो रही थी । दुकान किराये के वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय । विवरण निम्नवत था–

| क्र0स0 | दुकान संख्या | विवरण | 31मार्च17को बकाया |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | श्री सुरेन्द्र पुत्र रामपाल | 4500.00 |
| 2 | 4 | श्री आजाद पुत्र जयपाल | 10800.00 |
| 3 | 6 | श्री मों0 सलीम पुत्र युसुफ | 16200.00 |
| 4 | 8 | श्री मुस्तकीम पुत्र नसरूद्दीन | 3950.00 |
| 5 | 9 | श्री यासीन पुत्र करामत | 20400.00 |
| 6 | 14 | श्री नरेन्द्र पुत्र इन्द्राज | 1350.00 |
|  |  | योग | 57200.00 |

**टिप्पणी–** दुकान किराये की मांग एवं समाहरण पंजिका के जांच से प्रकाश में आया कि नगर पालिका के पास कुल 14 दुकाने है जिसका किराया वार्षिक वसूला जाता था जबकि किराया मासिक वसूला जाना चाहिए था इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

**12–इस्टीमेट एवं बिल की धनराशि बराबर अंकित किया जाना–**निमाण कार्यो की पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि वार्ड 15 मे इकरामुद्दीन के मकान से पाठशाला रोड तक उनकी सहायक गलियो में लेविल उठाकर वाइब्रेटिड इण्टरलाकिगं टाईल्स व नाली निर्माण का कार्य किया गया था । इस कार्य हेतु मे0 मोनार्क को रू 1800000.00 का भुगतान किया गया था जबकि जे0 ई0 द्वारा रू– 1800000.00 का इस्टीमेट भी बनाया गया था। इस्टीमेट एवं बिल की धनराशि को बराबर किया जाना अनुचित था। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

**स्थान–मेरठ**
**दिनांक–**23–10–17

उप निदेशक
स्था0 निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0
मेरठ मण्डल,मेरठ।

## भाग–ख

## विगत लेखा परीक्षा

**1–अनिस्तारित आपत्तियो का विवरण**–गत लेखा परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी, गत एवं विगत वर्षो की अनिस्तारित आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही की जाय। अनिस्तारित आपत्तियों की सूची संलग्न परिशिष्ट (क) के अनुसार थी ।

**2–वित्तीय स्थिति–** संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका कि आलोच्य अवधि में संस्था खाते की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट (ख) के अनुसार थी–

**टिप्पणी**–(1) प्रमाणित किया जाय कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय स्थिति में उल्लिखित आय के अतिरिक्त अन्य कोई आय नही था।

(2)प्रमाणित किया जाय कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय स्थिति में उल्लिखित बैंक खातो के अतिरिक्त अन्य कोई खाता अनुरक्षित नही किया गया था।

(3)गत सम्परीक्षा आख्यानुसार 31 मार्च 16 को पी0एल0ए0 बागपत मे रू 210844.76, सिण्डिकेट बैक खेकडा खाता संख्या 87912200034257 में रू 3047.46 एवं सिण्डिकेट बैक खेकडा खाता संख्या 87912200031247 में 139670.00 रू शेष था । इन खाते के शेष को किय खाते में अन्तरित किया गया था या इसे व्यय कर लिया गया था । सम्परीक्षा में स्पष्ट न हो सका। इस सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय ।

(4) रू 3149.06 का अन्तर रोकड़ बही एवं बैंक शेष मे था, जो विगत कई वर्षो से चला आ रही था। इस अन्तर का बैंक समाधान विवरण बनाकर स्पष्ट कराया जाय।

(5) नगर पालिका के अनुदानो के अतिरिक्त आय का विवरण संलग्न परिशिष्ठ (ग) के अनुसार था।

(6) नगर पालिका के व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ठ (घ) के अनुसार था।

(7) अभुक्त चेको का विवरण संलग्न परिशिष्ठ (ङ) के अनुसार था।

(8) आय व्यय का संहत विवरण एल0ए0ओ0–104 संलग्न परिशिष्ठ (ट) के अनुसार था।

3–**राजकीय अनुदान**–प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य वर्षो में संस्था को निम्नलिखित राजकीय अनुदान प्राप्त हुआ था जिसका उपभोग इस कण्डिका मे वर्णित निधारित शर्तो एंव निहीत उद्देश्यो पर उचित रूप से कर लिया गया था । यदि इसके उपभोग में किसी प्रकार का विचलन पाया गया था तो इसका उल्लेख सम्परीक्षा आख्या मे यथा स्थान कर दिया गया था ।

**टिप्पणी**–(1) प्रमाणित किया जाय कि आलोच्य वर्षो में संस्था को उक्त के अतिरिक्त अंन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त नही हुआ था।

(2) अनुदान पंजी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही थी।

(3) अनुदान पंजी में व्यय के उपरान्त शेष नही अंकित किया गया था।

(4) नगर पालिका को आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदानो का विवरण संलग्न परिशिष्ट (च) के अनुसार था।

(5) नगर पालिका द्वारा आलोच्य वर्ष में अनावर्तक अनुदानो से कराये गये निर्माण कार्यो का विवरण संलग्न परिशिष्ट (छ) के अनुसार था।

(6) अनुदान के उपभोग एवं शेष का विवरण संलग्न परिशिष्ट (ज) के अनुसार था।

(7) अप्रयुक्त अनुदानो को शासन से अनुमति लेकर विकास कार्यो पर व्यय किया जाय अथवा सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाय।

(8) राजकीय अनुदान का सहंत विवरण एल0ए0ओ0–105 संलग्न परिशिष्ट(ठ) के अनुसार था।

**4–राजकीय ऋण–** सम्परीक्षा में बताया गया कि नगर पालिका को आलोच्य वर्ष में कोई भी राजकीय ऋण नही प्राप्त हुआ था।इस कथन की पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

**5–विनियोजन–**सम्परीक्षा में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा आलोच्य वर्ष में कोई भी विनियोजन नही किया गया था।इस कथन की पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

**6–सम्परीक्षा शुल्क**–आलोच्य वर्ष मे नगर पालिका के लेखे पर शासनादेश संख्या–आडिट–1705/दस'–2010–101(33)/96 वित्त(लेखा परीक्षा)अनुभाग लखनऊ दिनाकं 21.07.2010 के अनुसार 30 मानव दिवस पर रू–307500.00 सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया आरोपित सम्परीक्षा शुल्क को अविलम्ब कोषागार के निर्धारित शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

**7–ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन**–ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन के सम्बन्ध में सम्परीक्षा को बताया गया कि नगर पालिका द्वारा घर घर से कूडा इकठ्ठा किया जाता था एकत्रित कूड़े को डम्पिगं ग्राउण्ड में डाल दिया जाता था। कूड़ा वही डम्पिगं ग्राउण्ड में पड़ा रहता था। शासकीय नीति 2000 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का समुचिम कार्य किये जाने थे जिसमे ठोस अपशिष्ट का अलगाव उनका शुद्धिकरण तथा निस्तारण सम्मिलित है। परन्तु नगर पालिका द्वारा जैविक व अजैविक ठोस अपशिष्ट का विलगीकरण नही किया गया था। अतः जे0एन0यू0आर0एम0 के दिशा निर्देशो के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

**8–सफाई कर्मचारी कल्याण निधि**–नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना नही की गयी थीं। जो उचित नही था। इस निधि की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

**9–कर एवं करेत्तर की स्थिति**–सम्परीक्षा मेंउपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर जही तक सुनिश्चित किया जा सका कर एवं करेत्तर की स्थिति संलग्न परिशिष्ट (झ) के अनुसार थी–

**टिप्पणी**–(1) मॉग एवं समाहरण पंजिका का योग नही किया गया था करो के लिए गये आकड़े वाह्य संकलन पर आधारित थे। इसका योग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) 31 मार्च 17 को कर एवं करेत्तर की रू 9825689.00 वसूली हेतु बकाया था इतनी बड़ी धनराशि का बकाया रहना नगर पालिका के आर्थिक हित के विनरीत था।

(3)दुकान किराया पत्रावली एवं अनुबन्ध पत्र अप्रस्तुत रहे।

(4) कर एवं करेत्तर का गोश्वारा किसी सक्षम अधिकारी से सत्यापित नही थे।

(5)नगर पालिका के कर एवंकरेत्तर का एल0ए0ओ0 106 संलग्न परिशिष्ट (ञ) के अनुसार थी।

**10–स्वच्छ भारत मिशन**–उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन खाते की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी–

| | **धनराशि** |
|---|---|
| 1 अप्रैल 16 को प्रा0 शेष | 442458.00 |
| वर्ष की आय | 422941.00 |
| योग | 865399.00 |
| व्यय | 288051.75 |
| 31 मार्च 17 को इतिशेष | ———— |
| पी0एन0बी0 खाता शेष | 577347.25 |
| 4483000100039752 | |

**टिप्पणी**–(1)रोकड़ बही अनुरक्षित नही की गयी थी स्वच्छ भारत मिशन की रोकडबही अनुरक्षित की जाय।

(2) स्वच्छ भारत मिशन खाते की शेष धनराशि को व्यय किया जाय अथवा सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाय।

(3)शा0स0 पी0एम0यू0/75/427/एस0बी0एम0/2015–16 दिनाकं 27.4.16 द्वारा रू 392608.00प्राप्त हुए थे शेष आय बैंक ब्याज से था।

**11–नजूल–**सम्परीक्षा में बताया गया कि नगर पालिका के पास काई नजूल सम्पत्ति नही थी इस कथन कि पुष्टि हेतु जिलाधिकारी बागपत से प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिखाया जाय।

**डिस्क्लेमर–**"संस्था की सम्परीक्षा उ0प्र0 स्थानीय लेखा–परीक्षा अधिनियम ,1984 में प्राविधानित नियमो एवं व्यवस्था के अनुरूप सम्पादित की गई है । सम्परीक्षा आख्या में आपत्तियों का समावेश संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो पर आधारित है। यदि कोई अभिलेख छिपाया गया है तो संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी एवं अधिनियम की धारा–7 का उल्लघंन माना जायेगा "।

**नोट–स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब काई पद शेष नही है ।**

स्थान–मेरठ
दिनांक–23–10–17
श्री रईस बाबू,वरिष्ठ लेखा परीक्षक

उप निदेशक
स्था0 निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0
RK मेरठ मण्डल,मेरठ।